



कार्यालय—ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, ज़िला न्यायालय धमतरी (छ0ग0)

District Legal Services Authority, Dhamtari, District court Dhamtari (C.G.)

e-mail dlsa.dhamtari@gmail.com Phone 07722-232056

क्र./ /एलएडीसीएस/ 2025

धमतरी, दिनांक 30 / 05 / 2025

संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) आदेश

छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर नालसा के ई-मेल पत्र क्रमांक / 7490 / LADCS-23-05/2024 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 के परिप्रेक्ष्य जिले में स्थापित होने वाले लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम हेतु डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदनानुसार निम्नलिखित कौंसिल की पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन संविदात्मक नियुक्ति निम्नानुसार की जाती है :-

1.	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	1— नंदकुमार देवागंन पिता स्व. पृथ्वीलाल देवागंन
2.	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	1— सुमइया बानो पिता एम.डी. सलीम मेमन
3.	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	2— मयंक सिंग ठाकुर पिता सुरेन्द्र सिंग ठाकुर
4.	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	3— नंदकुमार देवागंन पिता स्व. पृथ्वीलाल देवागंन

शर्त :-

- उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026



तक की अवधि के लिए 01 वर्ष के लिए होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।

4. डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के मानदेय का निर्धारण, पूर्व में नालसा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, छठग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा पूर्व में निर्धारित जिले के शहरी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित क्लास-ए, क्लास-बी एवं क्लास-सी तीनों में जो इस जिले के लिए पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया गया है।
5. डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों से नालसा से प्राप्त **संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement)** पत्र की शर्तों को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः की जावेगी।

उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA (Part File) 4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तथा **नालसा से प्राप्त पत्र क्रमांक** F.No. L-27/2022/NALSA/415 dated 16th April, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्तों में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुए अनुबंध तैयार कराया जावेगा :-

"You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."

“ आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्योंकि मानदेय, रिटेनरशीप के आधार पर है वेतन के आधार पर नहीं। ”

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तें एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तों को मान्य करते हुए, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधान अनुसार संचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार की जावें, अनुबंध की एक प्रति नालसा को कार्यालय अभिलेख हेतु अनिवार्यतः प्रेषित किया जावेगा।



6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी के चयन समिति द्वारा तैयार की गई उक्त पदों हेतु, चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक की अवधि के लिए केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही प्रभावशील मानी जावेगी।
7. यदि कोई लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अधीन एवं **संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement)** की शर्तों के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही कर, संबंधित का त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा स्वीकार किये गये त्यागपत्र का अनुमोदनार्थ हेतु नालसा को पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों के साथ प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. जिलों में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों एवं नियुक्त कौंसिलों के द्वारा नालसा के पत्र क्र. एल/20/2019 नालसा दिनांक 24 अगस्त 2022 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जावेगा तथा उसी के अनुसार नियुक्त कौंसिल की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी।
9. नियुक्त किये गये डिप्टी चीफ एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को, नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य सुचारु रूप से संपादन किये जाने हेतु निर्धारित आचार संहिता का अक्षरतः पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।

(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी द्वारा अनुमोदित)


सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)



पृ. क्र./९०२/एलएडीसीएस/२०२५
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक ३०/०५/२०२५

०१. माननीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
०२. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०३. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौंसिल धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
०४. स्थापना लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०५. श्री नंदकुमार देवांगन पिता स्व. श्री पृथ्वी लाल देवांगन, निवासी शांति चौक सोरिद नगर पोस्ट धमतरी, तहसील धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) पिन-४९३७७३ को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
०६. सुमइया बानो पिता श्री एम.डी.सलीम मेमन, निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हटकेशर, दुर्ग रोड धमतरी (छ.ग.) पिन-४९३७७३ को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
०७. श्री मयंक सिंह ठाकुर पिता श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी वार्ड नं. ०५, जंगलपारा नगरी, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) पिन-४९२००९ को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
०८. श्री नंदकुमार देवांगन पिता स्व. श्री पृथ्वी लाल देवांगन, निवासी शांति चौक सोरिद नगर पोस्ट धमतरी, तहसील धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) पिन-४९३७७३ को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

Neha Bera
सचिव, ३०/०५/२५

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)